"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2004—भाद्र 12, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-7-2004 की कण्डिका-19 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997) की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थ करने के लिये सौंपी जाती है. श्री सिंह को आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक ई-1-24/2003/एक/2.— श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990) को प्रवर-श्रेणी वेतनमान (रुपये 15100-400-18300) में नियुक्त किया जाता है. श्री जैन कलेक्टर, धमतरी के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ रहेंगे. उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2003 से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2004

क्रमांक बी-1-5/2004/4/एक.—श्री एस. आर. ब्राम्हणे, (आर. आर.-88 रा. प्र. से.-प्रवर श्रेणी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 1999/1120/2004/1/2/लीव/1034.—इस विभाग के आदेश क्र. 1811/1120/2004/1/2, दिनांक 24-7-2004 द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21-7-2004 से 31-7-2004 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में और दिनांक 1-8-2004 से 5-8-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 2002/1284/2004/1/2/लीव/1035.—श्री विकास शील, भा. प्र. से. को दिनांक 2-8-2004 से 13-8-2004 तक (13 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-8-2004 एवं 14, 15-8-2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री शील के अवकाश अवधि में श्री सोनमणि बोरा, आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री शील, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री शील, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 2004/1275/2004/1/2/लीव.—श्री बी. पी. एस. नेताम, भा. प्र. से. को दिनांक 28-6-2004 से 16-7-2004 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-6-2004 एवं 17, 18-7-2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री नेताम के अवकाश अवधि में श्री ए. डी. दुबे, अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का चालू कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री नेताम, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री नेताम, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नेताम, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक 1631/एच/जसंसं/2004.—राज्य शासन इस विभाग के अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग एक में प्रकाशित नियम 4, (1, 2) जिला स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिए निम्नानुसार संभागवार समितियां गठित करता है.

बिलासपुर संभाग

1. श्री कैलाश अवस्थी, पत्रकार, दैनिक हरिभूमि, बिलासपुर. 2. श्री मनोज शर्मा, पत्रकार, दैनिक नवभारत, बिलासपुर. 3. श्री प्रेमचंद जैन, संपादक, दैनिक कर्णप्रिय, कोरबा. 4. श्री उदयराम थवाईत, संपादक, केलो प्रवाह, रायगढ़. 5. श्री रूद्र अवस्थी, सहारा टीवी चैनल, बिलासपुर. 6. श्री अजय तिवारी, ब्यूरो चीफ, दैनिक हरिभूमि, अंबिकापुर. 7. श्री अशोक शर्मा, पत्रकार, देशबंधु, अंबिकापुर.

जगदलपुर संभाग

1. श्रीमती मणिकुंतला बोस, दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर. 2. श्री बसंत अवस्थी, पत्रकार, हितवाद, जगदलपुर. 3. श्री सुरेश रावल, दैनिक भास्कर, जगदलपुर. 4. श्री मनीष गुप्ता, दैनिक नवभारत, जगदलपुर. 5. श्री गोपाल शर्मा, दै. नवभारत, कांकेर. 6. श्री हेमन्त कश्यप, दै. हाईवेचैनल, जगदलपुर. 7. श्री एन. आर. के. पिल्ले, दै. जनसत्ता, दंतेवाड़ा.

रायपुर संभाग

1. श्री कौशल किशोर मिश्रा, तरूण छत्तीसगढ़, रायपुर. 2. श्री रामअवतार तिवारी, अमृत संदेश, रायपुर. 3. श्री चंद्रभूषण मिश्रा, हरिभूमि, रायपुर. 4. श्री अरूण उपाध्याय, दैनिक भास्कर, रायपुर. 5. श्री दीपक लाखोटिया प्रधान संपादक, प्रखर समाचार, धमतरी. 6. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, नवभारत, दुर्ग. 7. श्री प्रशांत शर्मा, पत्रकार, दैनिक भास्कर, रायपुर. 8. श्री सुहास राजिमवाले स्थानीय संपादक, स्वदेश, रायपुर.

सभी संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे. इन सभी संभाग स्तरीय समितियों के संयोजक, संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक,संयुक्त संचालक/उप संचालक जनसंपर्क होंगे. इन समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 1314/डी. 587/21-ब/छ. ग./2004.—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्तागणों को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गए पद पर महाधिवक्ता की अनुशंसा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन की ओर से उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28-2-2005 की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या कभी भी संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे. यह आदेश दिनांक 1-3-2004 से प्रभावशील माना जायेगा.

उक्त विधि अधिकारियों को इस विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक 668/डी. 2783/21-ब/छ. ग./2003, दिनांक 23 जनवरी, 2003 के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री नवल किशोर अग्रवाल	उप-महाधिवक्ता
3.	श्री शशांक दुबे	उप-महाधिवक्ता
4.	श्री विनोद श्रीवास्तव	शासकीय अधिवक्ता
5.	श्री अशीष शुक्ला	शासकीय अधिवक्ता
6.	श्री जयदत्त बाजपेयी	शासकीय अधिवक्ता
7.	श्री यू. एन. एस. देव	शासकीय अधिवक्ता
8.	श्री यशवंत सिंह ठाकुर	शासकीय अधिवक्ता
9.	श्री सतीश गुप्ता	उप-शासकीय अधिवक्ता

रायपुर, दिनांक 25 जून 2004

क्रमांक 3929/डी. 1476/21-ब/छ. ग./2004.—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद पर महाधिवक्ता की अनुशंसा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन की ओर से उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28-2-2005 की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर कभी भी संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

उक्त विधि अधिकारियों को इस विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक 668/डी. 2783/21-ब/छ.ग./2003, दिनांक 23 जनवरी 2003 के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	श्री प्रशांत मिश्रा (बिलासपुर)	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री व्ही. व्ही. एस. मूर्ति (बिलासपुर)	उप महाधिवक्ता
3.	श्री किशोर भादुड़ी	उप महाधिवक्ता
4.	श्री दशरथ गुप्ता	शासकीय अधिवक्ता
5.	श्री संजय श्याम अग्रवाल	शासकीय अधिवक्ता
6.	श्री सुमेश बजाज	उप शासकीय अधिवक्ता
7.	कु. निरूपम वाजपेयी	उप शासकीय अधिवक्ता

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 3974/डी-1365/21-ब/छ. ग./2004.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 215/11-2-17/2001/गोप./04, दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री महेन्द्र राठौर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कांकेर, छ. ग. की सेवाएं उपसचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

फा. क्र. 3975/डी-1365/21-ब/छ. ग./2004.—राज्य शासन, श्री राजेश्वर लाल झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान जगदलपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 215/11-2-17/2001/गोप./2004 दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक परिवहन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

फा. क्र. 3978/डी-1365/21-ब/छ.ग./2004.—राज्य शासन, श्री सनमान सिंह, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 1920/796/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 25-3-2004 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग को सौंपी गई थी, की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2004

फा. क्र. 5021/डी-2075/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कालीदत्त त्रिपाठी, अधिवक्ता, दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 1316/डी-587/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पेनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में पूर्व के समस्त पैनल को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जब कभी अत्यधिक आवश्यकता उत्पन्न हो तब राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं के पैनल को एतद्द्वारा अनुमोदन करता है :—

1. श्री भास्कर प्यासी, अधिवक्ता, बिलासपुर
2. श्री सतीश वर्मा, अधिवक्ता, बिलासपुर
3. श्री सुधीर बाजपेयी, अधिवक्ता, बिलासपुर
4. श्रीमती मीना शास्त्री, अधिवक्ता, बिलासपुर
5. श्री अखिल मिश्रा, अधिवक्ता, बिलासपुर
6. श्री संजय श्याम अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर

7. श्री आनंद कुमार तिवारी, अधिवक्ता, बिलासपुर
8. श्री अखिल कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर
9. श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता, बिलासपुर
10. श्री रविन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर

अधिवक्ताओं को जब किसी मामले में आपके द्वारा नियुक्त किया जाये तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर रु. 300/- (तीन सौ रुपये) केवल प्रतिदिन (प्रति प्रभावी पेशी) प्रति प्रकरण अधिकतम रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन की दर से शुल्क का भुगतान किया जाये.

आप पैनल में से राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु यह केवल तब ही किया जाये जब आपका समाधान हो जाए कि किसी अवसर पर कार्य कर रही न्यायपीठों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान विधि पदाधिकारियों द्वारा समुचित रूप से कार्य संपादित न किया जा सकता हो और यह कि अशासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किये बिना कार्य में बाधा आवेगी.

इन पैनल अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस आपके द्वारा निकाली जावे तथा संबंधित व्यय अनुदान मांग संख्या 29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-002-मुफस्सिल स्थापना-05-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियों-061-प्रायवेट अभिभाषकों को शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

संबंधित अधिवक्ताओं को कृपया तदनुसार सूचित किया जावे.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2004

क्रमांक 3930/डी-1476/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में पैनल अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जब कभी अत्यधिक आवश्यकता उत्पन्न हो तब राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं के पैनल को अनुमोदित करता है :—

1. श्री महेन्द्र पाल सिंह भाटिया, अधिवक्ता, बिलासपुर
2. श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता, बिलासपुर
3. श्री नीरज कुमार मेहता, अधिवक्ता, बिलासपुर
4. श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता, बिलासपुर
5. श्री सचिन राजपूत, अधिवक्ता, बिलासपुर
6. श्री उत्कर्ष वर्मा, अधिवक्ता, बिलासपुर
7. श्री आलोक बक्शी, अधिवक्ता, बिलासपुर
8. श्री प्रवीण दास, अधिवक्ता, बिलासपुर
9. श्री संजीव कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर
10. श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बिलासपुर
11. श्री के. एल. दिघ्रस्कर, अधिवक्ता, बिलासपुर
12. श्री राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता, बिलासपुर
13. श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर
14. श्री अरूण साव, अधिवक्ता, बिलासपुर

अधिवक्ताओं को जब किसी मामले में आपके द्वारा नियुक्त किया जाये तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर रुपये 300/- (तीन सौ रुपये) केवल प्रतिदिन (प्रति प्रभावी पेशी) प्रति प्रकरण, अधिकतम रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन की दर से शुल्क का भुगतान किया जाये.

आप पैनल में से राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु यह केवल तब ही किया जाये जब आपका समाधान हो जाये कि किसी अवसर पर कार्य कर रही न्याय पीठों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान विधि पदाधिकारियों द्वारा समुचित रूप से कार्य संपादित न किया जा सकता हो और यह कि अशासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किये बिना कार्य में बाधा आवेगी.

इन पैनल अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस आपके द्वारा निकाली जावे तथा संबंधित व्यय अनुदान मांग संख्या 29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद्-3572-मुफस्सिल स्थापना-10-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियों-006-प्रायवेट अभिभाषकों को शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

संबंधित अधिवक्ताओं को कृपया तदानुसार सूचित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशये की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	खड़गांव प. ह. नं.	0.029	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	खम्हार -खडगंवा मार्ग पर बोरई सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू -अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन्1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	सरवानी प. ह. नं. 8	0.250	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ+स) रायगढ़.	खरसिंया तुरंकेला सरवानी मार्ग में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.